

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 1982/वोष 11, 1903
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 1982/PAUSA 11, 1903

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

The paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 1-आईटीसी(पीएन)/82

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1982

विषय :—अनुसंधान एवं विकास एकाकों द्वारा आयात लाइसेंसों की
आवश्यकता के बिना ही कच्चे माल, संघटकों आदि के आयात
के लिए सुविधाएं ।

मिसिल सं. आईपीसी/3/40/81 से जारी.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक
सूचना सं. 14-आईटीसी(पीएन)/81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अन्तर्गत प्रकाशित
1981-82 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक की कंडिका 361(4) के साथ
पढ़ी जाने वाली वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 13-आईटीसी (पीएन)/
81 दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अधीन 1981-82 की आयात नीति की कंडिका 47
की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. 1981-82 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड बुक की कंडिका 361(4) अनुसूचन में निम्नलिखित भी 1981-82 की आयात नीति की उपयुक्त कंडिका 47 के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन माल के आयात के लिए पात्र होंगे :—

1. इलेक्ट्रिकल अनुसंधान एवं विकास संघ, नावोदरा

2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता

3. आयात, 1981-82 की आयात नीति के परिशिष्ट 10 में यथा निर्धारित अनुसंधान एवं विकास एकाई के लिए लागू शर्तों के अधीन होंगे।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 1-ITC(PN)/82

New Delhi, the 1st January, 1982

Subject : Facilities for import of raw materials, components etc. without the requirement of import licence by research and development units.

F. No. IPC/3/40/81.—Attention is invited to para 47 of the Import policy, 1981-82 published under the Department of Commerce Public Notice No. 13-ITC(PN)/81 dated the 3rd April, 1981, read with para 361(iv) of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1981-82 published under the Department of Commerce Public Notice No. 14-ITC(PN)/81 dated 3rd April, 1981.

2. In pursuance of the aforesaid para 361(iv) of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1981-82, the following will also be eligible to import goods under OGL in terms of the aforesaid para 47 of the Import Policy, 1981-82.—

(i) Electrical Research & Development Association, Vadodara.

(ii) Indian Statistical Institute, Calcutta.

3. The imports will be subject to the conditions applicable to the research and development units as laid down in Appendix 10 of the Import policy, 1981-82.

MANI NARAYANSWAMY, Chief Controller of
Imports & Exports.